②

टी०ए० मिस केस सं० 212/2017-18

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **(1) सिंगराय सुंडी, (2) सुरेन्द्र सुंडी, (3) रामाय सुंडी तीनों के पिता– स्व० चक्रधर सुंडी**, निवासी ग्राम– **नरसन्डा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **नरसन्डा**, थाना नं०– **649** के अन्दर खाता नं०– 251, 628, प्लॉट नं०– 4619, 4620, क्रमशः रकवा– **0.05+0.03 कुल रकवा– 0.08 एकड़** भूमि क्रेता **कैरी हेम्बरोम, पति– श्री प्रकाश हेम्बरोम**, निवासी ग्राम– **बड़ा चिरू**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदकों के नाम पर नामान्तरण मु०सं०– 450/2011–12 द्वारा नामान्तरित है। तथा पंजी II में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 536, दिनांक– 03.05.2018 के द्वारा कुर्सीनामा तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घर एवं गाय–बैल खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **कैरी हेम्बरोम, पति– श्री प्रकाश हेम्बरोम**, निवासी ग्राम– **बड़ा चिरू**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास 1,50,000.00/– **(एक लाख पचास हजार रुपये)** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **(1) सिंगराय सुंडी, (2) सुरेन्द्र सुंडी, (3) रामाय सुंडी तीनों के पिता– स्व० चक्रधर सुंडी**, निवासी ग्राम– **नरसन्डा**, थाना– **मुफ्फसिल**, क्रेता **कैरी हेम्बरोम, पति– श्री प्रकाश हेम्बरोम**, निवासी ग्राम– **बड़ा चिरू**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल **1,50,000.00/– (एक लाख पचास हजार रुपये)** में मौजा– **नरसन्डा**, थाना नं०– **649** के अन्दर खाता नं०– 251, 628, प्लॉट नं०– 4619, 4620, क्रमशः रकवा– **0.05+0.03 कुल रकवा– 0.08 एकड़** जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति .... दी जाती है। लेखापित 08.05.2018 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 08.05.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner